संख्या 24/ XII/2010/82(01)/2003

प्रेषक,

राजीव चन्द्र,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज
उत्तराखण्ड,देहरादून।

पंचायती राज विभाग देहरादून दिनांक 02 फरवरी, 2011

विषय :-वित्तीय वर्ष 2010-2011 में अटल आदर्श योजना से आच्छादित हेतु पंचायत भवन निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-444/XXi/10/82(01)/2003 दिनांक 25 मई, 2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत रू. 1.73 लाख (रू. एक लाख तिहत्तर हजार मात्र) की दर से अनुसूचित जाति हेतु 28 नये पंचायत भवन एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना हेतु 1 नया पंचायत भवन अर्थात कुल 29 पंचायत भवनों के निर्माण हेतु अटल आदर्श योजना से आच्छादित ग्राम पंचायतो के निर्माण हेतु कुल धनराशि रू. 50.17 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी तथा निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा अवशेष मॉग के आधार पर इस संबंध में निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्रांक-273 दिनांक 21 मई, 2010 द्वारा अवशेष 16 पंचायत भवनों के निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायतों हेतु अवशेष धनराशि की मॉग की गयी है। उक्त कम में अवशेष अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत 16 नये पंचायत भवन निर्माण हेतु रू. 27.68 लाख (रू. सत्ताईस लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि को संलग्न तालिका के अनुसार संबंधित जनपदों हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. पंचायत भवनों के निर्माण में भूकम्परोधी तकनीक का प्रयोग किया जाय ।

3. उक्त धनराशि की जनपदवार फांट निर्धारित मानक के अनुसार अपने स्तर से करने का कष्ट करें तथा पंचायत भवन उन्ही पंचायतों में बनाया जायेगा जहॉ पर पूर्व से कोई पंचायत भवन निर्मित न हों तथा बड़ी पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाय ।

4. पंचायत भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं निर्धारित नक्शा एवं प्लिंथ एरिया के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी दशा में प्लिथं एरिया एवं नक्शें में परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं भुगतान करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से इसकी तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

6. पंचायत भवनों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये/किये जा रहे दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जावेगा । आवंटित धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जावेगा तथा धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण वित्तरण अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा

7. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को प्रतिमाह उपलब्ध करायी जायेगी ।

8. बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका,स्टोर परचेज रूल्स डी.जी.एस.एन.डी. की दरें अथवा टैण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

9. धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाय ।

10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदाई होगी।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2011 तक पूर्ण उपयोग करके उपयोगिता प्रमाण–पत्र का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

12. बजट/ धनराशि उन्हीं योजनाओं में व्यय की जाय जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं ।

13. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–31 के लेखाशीर्षक–4059–आयोजनागत–लोक निर्माण कार्य–01–कार्यालय भवन–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना –01– पंचायत भवन का निर्माण–24–बृहत् निर्माण कार्य में से रूपये 27.68 लाख (रू. सत्ताईस लाख अड़सठ हजार मात्र) के नामे डाला जायेगा।

14. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–336p/XXVII(4)/2010 दिनांक 31 जनवरी, 2011 के द्वारा प्रदत्त सहमति से जारी किये जा रहें हैं ।

भवदीय

(राजीव चन्द्र)
सचिव।

संख्या XII/2010/82(01)/2003 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून ।
2.समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3.आयुक्त, गढ़वाल एंव कुमाऊँ मण्डल ।
4.समस्त जिलाधिकारी, उत्तराँचल ।
5..निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड देहरादून ।
6.निदेशक, वित्त एवं कोषागार , 23 लक्ष्मी रोड़ उत्तराखण्ड देहरादून ।
7.समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,उत्तराखण्ड ।
8.वित्त(व्यय–नियत्रंक) अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन ।
9.नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10.समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन ।
11.बजट नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
12.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
अनु सचिव।

नव निर्माण प्रस्तावित पंचायत भवन की सूची

शासनादेश संख्या– (1)/xii/2010/82(01)/2003 दिनांक फरवरी, 2011

क0सं0	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत
1	देहरादून	चकराता	सैज	83.48
2			जाडी	98.97
3			मुन्धौल	97.84
4		कालसी	बाडो	57.95
5			दोहा	67.78
6			अस्टाड	83.33
7	पिथौरागढ़	धारचूला	ज्योतिपांगू	36.21
8			बौन	86.77
9			दर	41.40
10			सिर्खा	61.61
11			दुग्तू	75.85
12			रूंग	65.12
13			तिदांग	72.17
14			बौगलिंग	47.01
15			कुटी	94.59
16			गर्ब्यांग	90.00

(राजीव चन्द्र)
सचिव।

RAJ' NEW FILE 2010 DATE 03-01-2011 TIME 01:54 PM